उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड।

(कार्मिक अनुभाग–एक)

संख्या 1516-सी /उ0नि0(एक)–02/2022–23

देहरादून, दिनांक , जून, 29 ,2022

महा प्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,
नरेन्द्रनगर (टिहरी)/अल्मोड़ा।

विषयः– वार्षिक स्थानान्तरण हेतु कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना का प्रेषण।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 12/XXXVI(3)/018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी, 2018 के आलोक में निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 334–सी/उ0नि0(एक)–02/2022–23, दिनांक 28 अप्रैल, 2022 द्वारा जनपदों को सुगम एवं दुर्गम हेतु चिन्हित किया गया था।

निदेशालय के आदेश संख्याः 1515–सी/उ0नि0(एक)–02/2022–23 दिनांक 28–06–2022 द्वारा उक्त वर्णित कार्यालय आदेश को संशोधित करते हुये पुनः जनपद अल्मोड़ा एवं जनपद (नरेन्द्रनगर) टिहरी को सुगम क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है।

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों को अपने स्तर से सूचित करते हुये नये सिरे से अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर पोर्टल पर दिनांक 03–07–2022 की सायं 5.00 बजे तक अपना–अपना विकल्प भरने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अनुपम द्विवेदी)
उप निदेशक उद्योग।

पृ0सं0 1516-सी /तद्दिनांकितः

1– प्रतिलिपि समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड(जनपद–टिहरी व अल्मोड़ा को छोड़कर) को इस आशय से कि उनके जनपद में कर्मचारियों की प्रास्थिति में इससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि उनके द्वारा भरे गये विकल्पों में परिवर्तन आवश्यक हो, तो वे भी दिनांक 03–07–2022 तक की सायं 5.00 बजे तक पोर्टल पर अद्यतन कर सकते हैं।

2– प्रतिलिपि उद्योग विभाग कर्मचारी संगठन, प्रान्तीय/जनपदीय शाखाओं को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनुपम द्विवेदी)
उप निदेशक उद्योग।